2019/00520

<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 126/2019

1 बहादुर पुत्र शंकर आयु 50 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश आयु 55 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
2 रघुवीर आयु 50 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
3 झण्डूराम आयु 48 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
4 बनवारी पुत्र हनुमान।
5 श्योपाल पुत्र हनुमान।
6 कुरड़ाराम पुत्र हनुमान।
7 अनिता देवी पत्नी सुखवीर
8 सावित्री पत्नी सुरेश कुमार।
9 नेमीचन्द पुत्र शंकर समस्त जाति जाट निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 प्रभाताराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 केन्दीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा गुढ़ा जरिये शाखा प्रबन्धक गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 विरूद्व निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी ताराचन्द बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 85/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2013

अपील संख्या 127/2019

1 बहादुर पुत्र शंकर आयु 50 वर्ष ज़ाति जाट निवासी ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश आयु 55 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
2 रघुवीर आयु 50 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
3 झण्डूराम आयु 48 वर्ष पुत्र ताराचन्द।
4 बनवारी पुत्र हनुमान।
5 श्योपाल पुत्र हनुमान।
6 कुरड़ाराम पुत्र हनुमान।
7 अनिता देवी पत्नी सुखवीर
8 सावित्री पत्नी सुरेश कुमार।
9 नेमीचन्द पुत्र शंकर समस्त जाति जाट निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 प्रभाताराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11 केन्दीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा गुढ़ा जरिये शाखा प्रबन्धक गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 विरूद्व निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी ताराचन्द बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 85/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2013 एंव अन्तिम डिक्री दिनांक 30.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री विकास कुमार महरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनुप गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री शिवहरि प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11.01.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2013 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2013 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीलो में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनो का निर्णय एक ही आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ताराचन्द द्वारा ग्राम टोडी की भूमि खसरा नम्बर 779,780,781,816,818 819, बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 15.03.2013 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 30.05.2018 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अलग–अलग अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ओमप्रकाश, नेमीचन्द की और से राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर विचाराधीन दोनो निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट के कथनो से सहमति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन के साथ दो अलग–अलग अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

चूकिं प्रस्तुत अपीलो में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई है। पक्षकारों को राजीनामा पढ़कर सुनाया जाने के उपरान्त सही होना स्वीकार करने पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया है। राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत करे विचारण न्यायालय राजीनामे के प्रकाश में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर